छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 364/वित्त/ब-4/चार/2012 रायपुर, दिनांक 30 जून, 2012

प्रति,

श्री/श्रीमती/सुश्री
.....
.....,
.....
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों के साथ वर्कशॉप दिनांक 21.06.2012 का कार्यवृत्त ।

प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2012 को विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों के साथ हुए बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है । कृपया पालन प्रतिवेदन से शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(**सी.जे.खत्री**)
संयुक्त सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

पृष्ठां.क्रमांक 365/वित्त/ब-4/चार/2012 रायपुर, दिनांक 30 जून, 2012

<u>प्रतिलिपि:-</u>

1. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
2. सचिव वित्त के निज सहायक मंत्रालय, रायपुर ।
3. समस्त संयुक्त/उप सचिव के निज सहायक मंत्रालय, रायपुर ।
4. समस्त बजट नियंत्रक अधिकारियों
5. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर ।
6. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
7. राज्य सूचना अधिकारी एन.आई.सी. मंत्रालय रायपुर ।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
9. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
10. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर की ओर वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

शोध अधिकारी
वित्त विभाग

<u>विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों के साथ वर्कशॉप दिनांक 21.06.2012 का कार्यवृत्त</u>

दिनांक 21 जून. 2012 को प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में विभागाध्यक्ष कार्यालय में पदस्थ राज्य वित्त सेवा के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई । बैठक में अधिकारियों की उपस्थिति सूची संलग्न है ।बैठक में मुख्य रूप से वर्ष 2012 में जारी वित्त निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई एवं बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

1. वित्त विभाग **वित्त निर्देश 35/2012 दिनांक 06 जून, 2012** के अनुपालन में राज्य वित्त सेवा के अधिकारी अपने नमूना हस्ताक्षर कोषालय/उपकोषालय में तत्काल उपलब्ध करायें ताकि 1 जुलाई, 2012 से ई-पेमेंट के माध्यम से देयकों के भुगतान में कोई रूकावट नहीं आवें । राज्य वित्त सेवा के अधिकारी इस संबंध में पालन प्रतिवेदन दिनांक 30 जून, 2012 तक वित्त विभाग को उलब्ध करावें ।

(कार्यवाही : समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी/समस्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी)

2. वन/कार्य विभागों मे पदस्थ राज्य वित्त सेवा के अधिकारी यह पता करें कि टेंडर से संबंधित कौन सा राजस्व शासकीय खजाने में जमा होना चाहिए । इस संबंध में पालन प्रतिवेदन दो सप्ताह के भतीर उपलब्ध कराया जाए ।

(कार्यवाही : समस्त कार्य विभाग/वन विभाग एवं संबंधित राज्य वित्त सेवा के अधिकारी)

3. प्रमुख सचिव वित्त ने आबकारी विभाग के वित्त अधिकारी को निर्देश दिए कि आवेदन शुल्क से प्राप्त राशि राज्य शासन के खजाने में जमा हेतु शेष नहीं होनें का प्रमाण पत्र वित्त विभाग को शीघ्र प्रेषित करें । संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा इस व्यवस्था को ऑन लाईन किए जाने का परीक्षण किया जाए ।

(कार्यवाही : आयुक्त आबकारी विभाग एवं संबंधित वित्त अधिकारी/आयुक्त कोष, लेखा एवं पेंशन)

4. राज्य शासन के आय-व्यय की समीक्षा की ई-कोष में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही की जावेगी । वित्त अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए कि ई-कोष के वेब साइट पर अपने विभाग से संबंधित आय एवं व्यय के आंकड़ों को देखें एवं यदि कोई त्रुटि दिखती है तो इसे वित्त विभाग, एन.आई.सी. या संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन के ध्यान में लावें । सभी वित्त अधिकारी दिनांक 10 जुलाई, 2012 तक फीडबैक वित्त विभाग को उपलब्ध करावें ।

(कार्यवाही : समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी/समस्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी/एन. आई.सी./कोष लेखा एवं पेंशन)

5. राज्य के आय-व्यय के आंकड़े सम्पूर्णता के साथ ई-कोष पर परिलक्षित हो इसके लिए आवश्यक है कि कार्य विभागों में ई-वर्क्स का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाए । एन.आई.

सी. एवं कोष लेखा पेंशन संबंधित विभागों के साथ बैठक कर कठिनाईयों का शीघ्र निराकरण करें । यह कार्य वित्तीय वर्ष 2012-13 में ही पूर्ण कर लागू किया जाए ।

(कार्यवाही : समस्त कार्य विभाग/वन विभाग/एन.आई.सी./कोष लेखा एवं पेंशन/संबंधित वित्त अधिकारी)

6. ई-कोष के वेबसाईट पर कोषलय में प्रस्तुत बिलों का पेडिग स्टेटस उपलब्ध है । वित्त अधिकारियों द्वारा इस विषय पर अनभिज्ञता व्यक्त करनें पर प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं निर्देश दिए गए कि ई-कोष एवं वित्त विभाग के वेबसाइट का समय-समय पर वित्त विभाग के अधिकारी अवलोकन किया करें । भविष्य में वित्त अधिकारियों द्वारा यह कहना कि वित्त निर्देश उपलब्ध/प्राप्त नहीं हुआ स्वीकार नहीं किया जायेगा। वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in है ।

(कार्यवाही : एन.आई.सी./कोष लेखा एवं पेंशन/समस्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी)

7. ई-पेमेंट हेतु वेंडर्स का डाटाबेस बनाए जाने की प्रगति की समीक्षा की गई । वित्त निर्देश 19/2012 दिनांक 25 अप्रैल, 2012 के संदर्भ में वेंडर्स की जानकारी मंगाये जाने संबंधी प्रपत्र को सर्विसेस भुगतान के संबंध में फार्मेट में इनकम टैक्स का कटौत्रा एवं पैन नम्बर डालें जाने के निर्देश दिए गए । वेंडर को भुगतान की सूचना एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने संबंधी कार्यवाही हेतु कोष लेखा एवं पेंशन को निर्देश दिए गए । प्रमुख सचिव वित्त द्वारा सभी वित्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वेंडर्स के फार्मेट से विभाग के समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को तत्काल सूचित करें । कोष लेखा एवं पेंशन संचालनालय द्वारा सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिये जाये कि वे आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करें ।

(कार्यवाही : समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी/एन.आई.सी./कोष लेखा एवं पेंशन/समस्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी)

8. वित्त विभाग के वित्त निर्देश 34/2012 दिनांक 5 जून, 2012 द्वारा रूपये 10,000 से कम के समस्त भुगतान हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पदनाम से चालू बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गई है । समस्त वित्त अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा खोले गए चालू बैंक खाते का प्रतिवेदन 30 जून, 2012 तक आवश्यक रूप से उपलब्ध करायें ।

(कार्यवाही : समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी/समस्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी)

9. वित्त निर्देश 30/2012 दिनांक 16 मई, 2012 द्वारा लागू Cash Management System के क्रियान्वयन हेतु वित्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन निर्देशों के अनुसार व्यय की समीक्षा निरंतर की जाए ।

(कार्यवाही : समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी /समस्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी)

10. वित्त निर्देश 41/2012 दिनांक 12 जून, 2012 के अनुपालन में राज्य पोषित योजनांतर्गत प्रावधानित राशि जो कि संचित निधि से दिनांक 31/3/2012 तक अग्रिम आहरित की जाकर बैंक खातों में रखी गई है, अर्जित ब्याज सहित तत्काल राज्य शासन के खाते में वापिस जमा

की जानें की स्थिति से 15 जुलाई, 2012 तक प्रतिवेदन वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही : समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी/समस्त राज्य वित्त सेवा अधिकारी)

11. प्रमुख सचिव वित्त द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्य विभागों में एलओसी का सॉफ्टवेयर फिर से शुरू किया जावे ।

(कार्यवाही : समस्त कार्य विभाग/एन.आई.सी./कोष लेखा एवं पेंशन/संबंधित राज्य वित्त सेवा के अधिकारी)

12. जिन विभागों द्वारा अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जा रहा है, समायोजन करनें की कार्यवाही वित्तीय नियमों के अनुसार शीघ्र की जावे ।

(कार्यवाही : समस्त बजट नियंत्रक अधिकारी/संबंधित राज्य वित्त सेवा के अधिकारी)

13. निर्देश दिये गये कि राज्य पोषित योजना का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र तैयार का विभागों को संवाहित किया जावे ।

(कार्यवाही : वित्त विभाग)